


आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम सिरहवा के खाता सं 241, 242 खसरा नं 161/680^{163, 161, 161/679, 164} में आवेदन पत्र अनुसार कैलाशपुरी पुत्र श्योजी के लिये पर कैलाश पुत्र शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत सिरहवा में दिनांक 2/4/25 को मजमेआम में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर